छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 2558 / 2455 / 2017 / 1 / 5, नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर ।

विषय :– **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार (DIPP) द्वारा Ease of Doing Business 2017 अंतर्गत प्राप्त सुधारों के क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 21 अगस्त, 2017 के पुनरीक्षण बाबत्।**

संदर्भ :– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.07.2017

–0–

विषयांतर्गत लेख है कि ऑन लाईन सिंगल विण्डो से 35 सेवाओं के संयोजित होने तथा इनके लिए आवेदन केवल ऑन लाईन लेने की व्यवस्था के निर्देश के कारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 21 अगस्त, 2017 को जारी परिपत्र को पुनरीक्षित करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि परिशिष्ट–एक अनुसार सिंगल विण्डों प्रणाली से संयोजित 35 सेवाओं से संबंधित विभागो द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

1 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित सेवाओं संबंधी आवेदन आवेदक से प्राप्त होने पर, आवश्यक होने पर, आवेदन प्राप्ति दिनांक से 7 दिवस में एक बार में सभी पृच्छाओं की पूर्ति हेतु पत्र प्रेषित जाएगा।

2 आवेदको से सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित सेवाओं संबंधी सभी आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किए जाएंगे। इस हेतु विभाग आवश्यकता अनुसार प्रणाली विकसित करेंगे।

3 आवेदक को उसके सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित आवेदन की स्थिति / आपत्ति / निराकरण की जानकारी यथासमय एसएमएस एवं ईमेल द्वारा सिंगल विन्डो प्रणाली से स्वचालित रूप से दी जायेगी।

4 सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित सेवा का आवेदन लोक सेवा गारन्टी के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के 80 प्रतिशत तक की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी सेवा प्रदाय न होने की स्थिती में संबंधित विभागाध्यक्ष को सिंगल विन्डो प्रणाली से ध्यान आकृष्ट करने का एसएमएस एवं ईमेल स्वचालित रूप से दी जाने की व्यवस्था की जाये। इस स्वचालित एसएमएस एवं ईमेल यह स्पष्ट सूचित किया जायेगा की प्रकरण में लोक सेवा गारंटी अधिनियम द्वारा नियत अधिकतम सीमा के उल्लंघन की स्थिति बन रही है अतः शीघ्र कार्यवाही करें।

क्रमशः...2

5 संबंधित विभाग आवेदक को अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/पंजीयन/अनुमति जारी किये जाने के पूर्व निरीक्षण की आवश्यकता होने पर, निरीक्षण पश्चात 24 घंटे के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करेंगे।

6 इन निर्देशो के पालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा जारी संबंधित विभागीय नियमों/प्रक्रिया को उपरोक्त वर्णित अनुसार संशोधित समझा जायेगा।

संबंधित विभागों के लिए उक्त निर्देशो का पालन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सिंगल विन्डो प्रणाली से वर्तमान में संयोजित 35 सेवाओं (परिशिष्ट–अ संलग्न) में करना आवश्यक होगा। भविष्य में सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित होने वाली अन्य सेवाओं के लिए उनके संयोजन दिनांक से यह निर्देश प्रभावशील होगा।

(डी.डी. सिंह) 24/10
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा0 क्र0 2559/2455/2017/1/5. नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि :–

1 **अपर मुख्य सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

2 **संचालक**, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, 24/10
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट अ

S.No.	Department	Services
1	CECB	Consent to establish under Water and Air Act
2	CECB	Consent to operate under Water and Air Act
3	CECB	Consent to operate renewal, under Water and Air Act
4	CECB	Authorization under Hazardous Waste Rules
5	Industries	Stamp Duty- Directorate of Industries
6	Industries	Priority Certificate
7	Industries	Production Certificate - DTIC/Directorate
8	Industries	Registration and Renewal under Boiler Act
9	Industries	Approval for Boiler manufacturer and renewal thereof
10	Industries	Approval for Boiler erector and renewal thereof
11	Urban	Registration and Renewal under Shops and Establishment
12	Urban	Trade License
13	Urban/TCP	Approval of Building Plans
14	Urban/TCP	NOC from Fire Department
15	Labour	Registration and Renewal under Factories Act, 1948
16	Labour	Permission for engaging contractor for labour
17	Labour	Renewal of license for contractors
18	Labour	Factory building plan approval (under the Factories 1948)
19	Labour	Registration of principal employer's establishment
20	Labour	Registration under Inter State Migrant Workers Act
21	Labour	Registration under Building and Other construction wo act
22	Revenue	Change of Land Use
23	Revenue	NOC for Tree Felling
24	Electricity	Electricity Connection
25	Urban/CSIDC	Water Connection
26	Legal Metrology	Registration and Renewal under Weights and Measures
27	Chief Electrical Inspectorate	Certification of Electrical Installation by Chief Elec Inspector
28	Forest	Tree Transit Permit
29	Registrar of Firms & Societies	Registration under firms and societies
30	PWD	Road Cutting Permission
31	Rural Development	Road Cutting Permission
32	Food and Drugs	Retail Drug License (Pharmacy) and renewal thereof
33	Food and Drugs	Wholesale drug license
34	Food and Drugs	Granting and renewal of Drug Manufacturing License
35	CSIDC	Land Allotment